भू-सम्पत्ति कार्यालय

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर, जिला जयपुर (राजस्थान) 303329
फोन नं. 01425-254982(कार्यालय) *e-mail -estateofficer@*sknau.ac.in

क्रमांक : एफ.13( )/श्रीकनकृविवि/भू.अ./2021–22/2550 **दिनांक : 09.02.2022**

निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में दिनांक 18.02.2022 को सुबह 11.00 बजे विभिन्न भवनों से उतारे हुए पुराने कुलर, पखें, लोहे की खिड़किया, लकड़ी के दरवाजे, सरिये, कॉटेदार तार, एंगल, जी. आई.पाइप, बिजली के तार एवं केबल, सोडियम लाईट, फिक्सर, सिलिंग लाईट, पीतल की टोटियाँ, कुर्सियाँ, बिजली के अन्य सामान जिस हालत में है, निलामी की जावेगी, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 4.52 लाख है। विस्तृत विवरण हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.sknau.ac.in** पर देखें।

निलामी की शर्ते :–

1. **बोली दाताओं को बोली लगाने से पूर्व बोली प्रतिभूति राशि ₹ 9,040/– रू. केवल डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में ही जमा करवाना अनिवार्य होगा। बिना प्रतिभूति राशि के बोली में भाग नहीं ले सकेगा और प्रतिभूति राशि की डीडी/बैंकर्स चैक, भू–सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर' के नाम देय होगा। यदि बोली स्वीकार नही होती है तो बोली के बाद बोली प्रतिभूति राशि की डी.डी./बैंकर्स चैक उसी दिन वापिस कर दी जावेगी।**
2. **बोली दाताओं को बोली लगाने से पूर्व बोली प्रतिभूति राशि की डी.डी./बैंकर्स एवं बोली दाता की फर्म का GST पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, इनके अभाव में बोली दाता को बोली में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।**
3. निलामी की बोली पंजीकरण के तुरन्त बाद से चालू होगी, जो अंतिम बोली तक जारी रहेगी।
4. जिस पार्टी/फर्म/बोलीदाता के नाम बोली छूटती है उन्हें बोली की 50 प्रतिशत राशि उसी समय जमा करानी होगी। बाकी की रकम डीडी/बैंकर्स चैकसे तीन दिन मे जमा करवाना होगा।
5. माल जो जिस हालत में है, जैसा है, जहां है, वैसा ही दिया जावेगा।
6. यदि नीलामी की राशि माल की कीमत के बराबर नही है और कमेटी मंजूर नही करती है तो बोली लगाने वाला किसी तरह बाध्य नही कर सकेगा।
7. **सभी देय टैक्स मय GST पार्टी को ही जमा करवाना होगा और रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पार्टी को माल उठाने दिया जावेगा।**
8. कमेटी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
9. निलामी की अन्य शर्तें मौके पर सुनवा दी जायेगी।
10. निलामी के बाद सामान की पूर्ण जिम्मेदारी पार्टी की होगी एवं पार्टी को सम्पूर्ण सामान अन्दरमयाद तीन दिन में स्वयं के खर्चे पर उठाना होगा।
11. प्रत्येक पार्टी/फर्म की पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करानी होगी, अन्यथा बोली में भाग नहीं ले सकते।
12. बोली का न्यूनतम अन्तर 1000रू. होगा।
13. निलामी में भाग लेने वाले बोली दाताओ को कोरोना के टिके/RT-PCR का प्रमाण पत्र पंजीकरण के दौरान दिखाना होगा अन्यथा निलामी में भाग नहीं दिया जायेगा।
14. राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करना होगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. **दो गज दुरी मास्क है जरूरी** का पालन करना अनिवार्य होगा।

(ई. लखबीर सिंह)
भू–सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :–

1. श्रीमान् निजी सचिव माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त–नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज कर लेख है कि स्वयं/अपने नामित सदस्य को दिनांक 18.02.2022 को सहायक अभियन्ता कार्यालय परिसर, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में उपस्थित होने का श्रम करावें।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट **www.sknau.ac.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
4. अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
5. कमेटी कनवीनर/सदस्य...
6. कैशियर, लेखा शाखा को भेजकर लेख है कि पार्टीयों का पंजीकरण एवं प्रतिभूति राशि डीडी जमा करने के लिए दिनांक 18.02.2022 को उपस्थित रहें।
7. समस्त सूचना पट्ट – कार्यालय/नगरपालिका मण्डल/नया व पुराना बाजार/ज्वालापोल/ डाकघर/कॉलेज परिसर/रावल नरेन्द्र सिंह मार्ग, जोबनेर।

(ई. लखबीर सिंह)
भू–सम्पत्ति अधिकारी